मा.न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर (म0प्र0)

नि0प्र0क्र0 R-425-III/14

सन् 2014

1. उमशंकर
2. अशोक कुमार पुत्रगण रामकृपाल शुक्ला
3. सुनील कुमार

निवासीगण ग्राम हतना तह. राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्रीमती कस्तूरी पुत्री मथुरा प्रसाद शुक्ला
2. कमलाबाई पुत्री मथुरा प्रसाद शुक्ला

निवासीगण बड़ी कुंजरेहटी के पीछे, छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

3. मध्य प्रदेश शासन

अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-रा.सं. 1959 के तहत निगरानी विरूद्ध श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय सागर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 77/सी-129/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2013 से दुखी होकर

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित सादर निगरानी प्रस्तुत करते है कि-

1- यह कि निगरानी प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा हतना स्थित मौजा खसरा नम्बर 157, 272 किता 02 रकवा क्रमशः 8.01, 7.18 एकड़ भूमि जो ग्राम हतना तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) में है जो निगरानीकर्तागण के दादा भुमानीदीन तनय रामनाथ शुक्ला के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर सम्वत् बन्दोवस्त से लेकर 1967-68 तक भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित रही है तथा बाद में उक्त भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश बगैर उक्त भूमि को मध्य प्रदेश शासन दर्ज कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागणों ने श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर के न्यायालय में विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर ने विधिवत प्रकरण दर्ज किया गया था जिसका प्रकरण क्रमांक 05/सी-129/2001-02 था जिसमें श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर द्वारा दिनांक 08.10.03 को आदेश पारित किया गया था जिसमें पूर्व रिकार्ड के अनुसार निगरानीकर्तागण के दादा के

क्रमशः-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 425/III/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24/4/14	यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 77/सी–129/09–10 में पारित आदेश दिनांक 6–11–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदकगण ने अपर आयुक्त सागर के न्यायालय में अभिभाषक नियुक्त किया और अभिभाषक व्दारा आवेदकगण को बता दिया गया कि निर्णय की जानकारी निर्णय होने के वाद दे देंगे किन्तु आवेदक के अभिभाषक ने निर्णय दिनांक 6–11–13 की जानकारी समय पर नहीं दी। आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त के निर्णय की नकल लेने के लिये दिनांक 8–11–13 को आवेदन दिया एंव 22–11–13 को नकल मिल गई किन्तु उन्होंने कोई सूचना आवेदकगण को नहीं दी, जब दिनांक 27–1–14 को आवेदक क–1 व्यक्तिगत कार्य से सागर गया तब अभिभाषक से संपर्क करने पर बताया गया कि काफी समय पूर्व प्रकरण में आर्डर हो गया है एंव आदेश की प्रति प्राप्त कर ली गई है। तत्पश्चात आदेश	

की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर दिनांक 29–1–14 को ग्वालियर गया और 30–1–14 को निगरानी तैयार कराकर 4–2–14 को पेश की गई है इसलिये विलम्ब का आधार सदभाविक होने से क्षमा किया जावे एंव निगरानी सुनवाई में ली जाकर रिकार्ड मंगाया जावे।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में वर्णित तथ्यों से स्वतः प्रमाणित है कि आवेदक के अभिभाषक को अपर आयुक्त, सागर संभाग के आदेश दिनांक 6–11–13 की जानकारी यथासमय रही है और उनके व्दारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भी समय पर प्राप्त कर ली गई । विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या आवेदक के अनुसार उसकी ओर से नियुक्त अभिभाषक व्दारा त्रृटि करना बताये जाने का लाभ देकर विलम्ब क्षमा किया जा सकता है ?

1. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अंतिम तर्क उपरांत आदेश हेतु तिथी नियत – अंतिम आदेश की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है– – आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी ।
2. भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा–47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा–5 – विलम्ब माफी हेतु निवेदन – आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया– प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं – विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता।
3. भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा–47 तथा 44 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा–5 –कार्यवाही में अनुपस्थित व काउन्सेल से संपर्क का प्रयास नहीं किया जाना, मामले के प्रचलन के विषय में जांच का प्रयास नहीं किया

जाना – विलम्ब के लिये माफी के संदर्भ में सद्भाविक नहीं कहा जा सकता। "लंगरी बनाम छोटा 1992 रा.नि. 289 पर अविलम्बित

4. म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959– धारा 47 – अनुचित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त कारणों से निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत होना पाये जाने के कारण अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर